राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक प्रशि0/म.स्वा.कार्य./2011/1156 दिनाकः–02.06.2011

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2011–12 में प्रवेश हेतु संक्षिप्त विज्ञप्ति

इस निदेशालय के अधीन संचालित राजकीय स्कूल्स में सत्र **2011–12 एएनएम प्रशिक्षण** पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये दिनांक–**15.07.2011** (सांय 6 बजे) तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन हेतु पात्रता/योग्यता की प्रमुख शर्तें निम्नानुसार हैः–

1	**शैक्षणिक योग्यता**	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से सैकण्डरी परीक्षा अथवा मा0शि0बोर्ड अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डो की इसके समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी व गणित विषय सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2	आयु (01.01.2011)	आयु दिनांक 01.01.2011 को 17 वर्ष से कम तथा 34 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये। अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग /विशेष पिछडा वर्ग की अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की नियमानुसार छूट देय है।
3	**सीटों की संख्या**	**3090** सीटे
4	**आरक्षण**	अन्य पिछडी जाति के उम्मीदवारों के लिये 21 प्रतिशत , अनुसूचित जाति के लिये 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिये 12 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। अन्य पिछडा वर्ग में चयनित नहीं होने वाले विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को 1 प्रतिशत आरक्षण विशेष पिछडा वर्ग मे देय होगा। राजस्थान राज्य के आरक्षित वर्ग को ही नियमानुसार आरक्षण देय होगा। **(प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)** अनुसूचित खण्डो के स्थानीय अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार आरक्षण देय होगा। आंगनबाडी कार्यकर्ता , विधवाओं एवं तलाक शुदा अभ्यर्थियों, विकलांगो , विभागीय चतुर्थ श्रैणी महिला अभ्यर्थियों को विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार आरक्षण देय होगा।
5	**पाठ्यक्रम की अवधि**	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अवधि 18 माह
6	**स्टाईपेण्ड**	चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार स्टाईपेण्ड देय होगा।
7	**चयन प्रकिया**	चयन जिला स्तरीय मेरिट के आधार पर काउन्सलिंग द्वारा होगा।
8	आवेदन शुल्क	सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, के नाम देय 20/–रूपये (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये निः शुल्क) का पोस्टल आर्डर आवेदन शुल्क के रूप में संलग्न करना आवश्यक है।
9	विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन प्रपत्र	विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन प्रपत्र विभागीय वैबसाईट **www. rajswasthya.nic.in** पर उपलब्ध है।
10	आवेदन पत्र किस पते पर	आवेदन पत्र संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जो उस जिले के प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी भी है, के कार्यालय में दिनांक 15.07.2011 (सांय 6:00 बजे) तक प्रस्तुत किये जा सकते है। **(आवेदन पत्र रजिस्टर्ड /साधारण डाक/स्पीडपोस्ट या कोरियर द्वारा भेजे जा सकते है। व्यक्तिशः आवेदन पत्र नही लिये जावेगें।)**

अधिक जानकारी हेतु कृपया बिन्दू संख्या–09 अनुसार विस्तृत विज्ञप्ति को देखें।

(बी.के. दोसी)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राज0 जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक प्रशि0/न.स्वा.कार्य./2011/1144 दिनाक 02.06.2011

—:: प्रवेश विज्ञप्ति ::—

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर के अधीन संचालित 32 राजकीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र , जिनकी सूची विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित है, में प्रवेश हेतु योग्य महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जो उस जिले के प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी भी है, के कार्यालय में दिनांक **15.07.2011** (सांय 6:00 बजे) तक प्रस्तुत किये जा सकते है। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजो की सत्यापित प्रतियां तथा संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, के नाम देय 20/—रूपये (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये निःशुल्क) का पोस्टल आर्डर आवेदन शुल्क के रूप में संलग्न करना आवश्यक है। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड /साधारण डाक/स्पीडपोस्ट या कोरियर द्वारा भेजे जा सकते है। व्यक्तिशः आवेदन पत्र नही लिये जावेगें।

प्रशिक्षण मे प्रवेश हेतु निर्धारित योग्यता एवं शर्ते निम्नानुसार हैः—

शैक्षणिक योग्यता— माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से सैकण्डरी परीक्षा अथवा मा0शि0बोर्ड अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डो की इसके समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी व गणित विषय सहित उर्त्तीण होना अनिवार्य है।

प्रशिक्षण अवधि— प्रशिक्षण अवधि 18 माह की होगी। प्रशिक्षण माह सितम्बर/अक्टूबर मे प्रारंभ किया जाना संभावित है।

आयुः— आयु दिनांक 1.1.2011 को 17 वर्ष से कम तथा 34 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये। अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग /विशेष पिछडा वर्ग की अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की नियमानुसार छुट देय है।

आरक्षणः—

(1) अन्य पिछडी जाति के उम्मीदवारों के लिये 21 प्रतिशत , अनुसूचित जाति के लिये 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिये 12 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। अन्य पिछडा वर्ग में चयनित नहीं होने वाले विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को 1 प्रतिशत आरक्षण विशेष पिछडा वर्ग मे देय होगा। राजस्थान राज्य के आरक्षित

वर्ग को नियमानुसार आरक्षण देय होगा।**(प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)**

(2) क्षैतिज आधार पर (होरिजेन्टल बेसिस) पर निम्नानुसार आरक्षण देय है:–

(क) पांच वर्ष का कार्य अनुभव एवं निर्धारित योग्यता वाली आंगनबाडी कार्यकर्ता अभ्यर्थियों के लिये 15 प्रतिशत।

(ख) मिलेट्री/पैरा–मिलेट्री/पुलिस मृतक कर्मियों के विधवाओ के लिये 3 प्रतिशत

(ग) विधवाओं एवं तलाकशुदा अभ्यर्थियों के लिये 2 प्रतिशत।

(घ) विकलांग श्रेणी ओ0एल0(एक टांग) अभ्यर्थियों के लिये 3 प्रतिशत।

(च) न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा तथा अधिकतम 35 वर्ष की आयु की विभागीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महिला अभ्यर्थियों के लिये 15 प्रतिशत, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण में चयन के बाद नियमानुसार अवकाश लेना होगा।

(3) डूंगरपुर एवं बांसवाडा प्रशिक्षण केन्द्र पर राज्य सरकार कार्मिक विभाग (क–2) की अधिसुचना दिनांक 07.11.96 के निर्देशानुसार डूंगरपुर/बांसवाडा पुरे जिले एवं उदयपुर/राजसमंद/प्रतापगढ/सिरोही जिले के अनुसूचित खण्डों के स्थानीय जनजातिय अभ्यर्थियों का 45 प्रतिशत तथा स्थानीय अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का 5 प्रतिशत आरक्षण होगा तथा शेष 50 प्रतिशत सीटे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये होगी। **उदयपुर, चित्तौडगढ एवं सिरोही के प्रशिक्षण केन्द्रो पर अनुसूचित खण्डो के जनजातिय एवं** अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण दिया जावेगा। बारां केन्द्र पर नियमानुसार ,किशनगंज एवं शाहबाद क्षेत्र के सहरिया अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया जावेगा।

<u>चयन प्रक्रिया:–</u>

(1) चयन में राजस्थान के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिसके लिये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।

(2) सैकण्डरी अथवा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उत्तीर्ण परीक्षा के प्राप्तांको के आधार पर संबधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पूर्णतया मेरिट के आधार पर जिलावार ,श्रेणीवार मेरिट सूचियां तैयार की जाकर संबधित संयुक्त निदेशक, जोन से प्रमाणित करवायी जावेगी। संयुक्त निदेशक, जोन से प्रमाणित श्रेणीवार मेरिट सूचियां निदेशालय को भेजी जावेगी। तत्पश्चात निदेशालय के निर्देशन मे आरक्षण की श्रेणीवार वरीयता के आधार पर चयन किया जावेगा। काउन्सलिंग हेतु पृथक से तिथि निर्धारित कर इसकी सूचना समाचार पत्र के माध्यम से दी जावेगी।

(3) मेरिट सूची/चयन सूची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय एवं संबंधित जिला परिषद कार्यालय मे उपलब्ध रहेगी तथा चयनित अभ्यर्थी को पत्र द्वारा भी सूचित किया जावेगा।

(4) चयनित अभ्यर्थियों को उनके चयन से संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र पर निर्धारित समय सीमा में अपने मूल दस्तावेजो के साथ उपस्थिति देनी होगी अन्यथा चयन आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेगें।

(5) चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी के पास रहेगें और उनका संबंधित बोर्ड/ संस्थान से सत्यापन हो जाने पर ही लौटाये जा सकेगे। यदि सत्यापन के दौरान किसी अभ्यर्थी के कोई दस्तावेज फर्जी पाये जावेगें तो तत्काल प्रशिक्षण से पृथक करते हुये ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्व अपराधिक मामला भी दर्ज कराया जावेगा।

(6) यदि कोई अभ्यर्थी चयन के समय गर्भवती पाई जाती है तो उसके आगामी बैंच में बिना पुनः आवेदन किये प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावेगा, बशर्ते अभ्यर्थी चयन की पूर्ण पात्रता रखती हो।

(7) चयन के सबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन /प्रतिवेदन का निस्तारण इस निदेशालय के निर्देशों के अध्ययधीन होगा।

स्टाईपेण्ड– चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार स्टाईपेण्ड देय होगा।

प्रशिक्षण के नियमः– प्रशिक्षणार्थी की उपस्थिति की अनिवार्यता/अवकाश/पाठ्यक्रम एवं अन्य शर्ते जो समय समय पर राज्य सरकार/इस निदेशालय या राजस्थान नर्सिंग कौंसिल द्वारा निर्धारित की जायेगी, का पालन करना अनिवार्य होगा।

(बी.के. दोसी)
अति0 निदेशक(प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र

क्र.सं.	प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी अधिकारी कार्यालय का नाम	जिले का नाम	प्रवेश क्षमता
1	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	अजमेर	120
2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	भीलवाडा	90
3	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	टोंक	90
4	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	नागौर	90
5	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	बीकानेर	120
6	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	चूरू	90
7	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	गंगानगर	90
8	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	हनुमानगढ	90
9	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	भरतपुर	120
10	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	धौलपुर	90
11	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	करौली	90
12	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	स0मा0	90
13	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	जयपुर–प्रथम	120
14	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	अलवर	90
15	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	दौसा	90
16	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	सीकर	90
17	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	झुंझुनूं	90
18	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	कोटा	120
19	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	बून्दी	90
20	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	बारां	90
21	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	झालावाड	90
22	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	उदयपुर	120
23	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	बांसवाडा	90
24	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	चित्तौडगढ	90
25	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	राजसमंद	90
26	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	डुंगरपुर	90
27	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	जोधपुर	120
28	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	बाडमेर	90
29	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	जैसलमेर	90
30	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	सिरोही	90
31	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	जालौर	90
32	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	पाली	90
	योग		3090

नोट– राज्य सरकार के निर्देशों/आईएनसी/आरएनसी द्वारा इनकी मान्यता मे परिवर्तन की स्थिति मे प्रशिक्षण केन्द्रों की सीटो की संख्या घटाई/बढाई जा सकती है।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2011–12
प्रवेश हेतु आवेदन का प्रारूप

स्वयं का पासपोर्ट साईज का हस्ताक्षरित फोटो चिपकाऐं।

भाग – अ

कृपया अपने से सम्बन्धित बॉक्स पर (√) चिन्ह अंकित करें।

1. अभ्यर्थी का जाति वर्ग :–
   सामान्य ☐ अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जनजाति ☐ अन्य पिछडी जाति ☐
   विशेष पिछडा वर्ग ☐ टीएसपी (एस.टी.) ☐ टीएसपी(एस.सी) ☐ सहरिया ☐
2. क्या अभ्यर्थी विकलांग (OL) श्रेणी में प्रवेश का पात्र है :– हाँ ☐ नहीं ☐
   (प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
3. यदि अभ्यर्थी विभागीय महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है:– हां ☐ नहीं ☐
   (भाग " स" को भरना अनिवार्य है।)
4. यदि अभ्यर्थी आंगनबाडी कार्यकर्ता है:– हां ☐ नहीं ☐
   (भाग " स" को भरना अनिवार्य है।)
5. क्या मिलेट्री/पैरा मिलेट्री/पुलिस मृतक कर्मियों की विधवा/अन्य श्रेणी की विधवा/तलाकशुद्वा है:– हां /नहीं ☐
   (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है) यदि हॉ तो श्रेणी का नाम लिखे————————

7. आवेदन शुल्क विवरण:– पोस्टल आर्डर नम्बर————————दिनांक——————राशि(रू0)—————

भाग – ब

1. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में)..
2 पिता/पति का नाम (हिन्दी में) ....
3 जन्म तिथि ____/_ ___/_ _ _ ____(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
4 दिनांक 01.01.2011 को आयु :– महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु जारी विज्ञप्ति के कम में। वर्ष _ _ माह _ _ दिन _ _
5 वर्तमान पता ....
   ....जिला..
6 स्थाई पता ....
   ....जिला..

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	रोल नम्बर	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांकों का प्रतिशत

हस्ताक्षर आवेदक

भाग – स

(केवल विभागीय महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों /आंगनबाडी कार्यकर्ताओ के लिए)

1. नाम अभ्यर्थी———————— 2 पिता/पति का नाम————————

3. पद नाम———————— 4. नियुक्ति तिथि————————

5. वर्तमान पदस्थापन स्थान———————— 5. जिला————————

हस्ताक्षर आवेदक

उपरोक्त विवरण कार्यालय रिकार्ड अनुसार सही है।

हस्ताक्षर
नियुक्ति/प्रशासनिक अधिकारी मय
कार्यालय मोहर

भाग –द

घोषणा

मैं ....पुत्री/पत्नी श्री.. घोषणा करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए उपरोक्त विवरण एवं संलग्न पत्रादि मेरी जानकारी में पूर्णतः सत्य हैं, तथा मैंने कोई तथ्य छिपाया नहीं है।

संलग्नः– सत्यप्रतिलिपि का विवरणः–

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर आवेदक